कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

संख्या– 804/अलाव व्यवस्था–जलौनी लकडी आपूर्ति/2024–25 दिनांक–20 नवम्बर, 2024

अति अल्पकालिक ई– निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, बहराइच में वर्ष 2024–25 में ठण्डक एंव शीत लहरी के दौरान नगर के विभिन्न चौराहो/प्रमुख स्थानों/वार्डो में अलाव जलवाये जाने हेतु सूखी जलौनी लकडी की आपूर्ति हेतु समस्त टिम्बर मर्चेन्टों, लकडी की ठेकी वाले व्यक्तियों जिनका पंजीकरण वन विभाग/वन निगम में हो उन पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर आनलाइन निविदायें दिनांक 21.11.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 03.12.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है। जिनकी तकनीकी बिड दिनांक .12.2024 को अपरान्ह 4:30 बजे आनलाइन खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बिड बाद में आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोली जायेगी। सूखी जलौनी लकडी की आपूर्ति आनलाइन प्राप्त न्यूनतम निविदा की दरों के अनुसार आवश्यकतानुसार कार्यादेश निर्गत करके न्यूनतम निविदादाता फर्म से प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को होगा। आपूर्ति की जाने वाली सूखी जलौनी लकडी की मात्रा घट–बढ सकती है। जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की धनराशि नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा– डिगिहा बहराइच स्थित बचत खाता संख्या– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में RTGS / NEFT के माध्यम से अलग–अलग जमा करके जमा रसीद /यू0टी0आर0 नम्बर ई–निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना होगा अथवा जमानत धनराशि के सापेक्ष एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा मूल्य आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा। अन्यथा निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	दर/कुन्तल	अनुमानित लागत	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य (18 प्रतिशत जी0एस0टी0+ई0 टेण्डर शुल्क सहित)
1	अलाव जलाने हेतु सूखी जलौनी लकडी की आपूर्ति।	4000 कुन्तल	रू0 600.00/कुन्तल	2400000'00	24000.00	2832.00

नियम व शर्ते–

1– टेण्डर दाता को जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा– डिगिहा बहराइच स्थित बचत खाता संख्या– 50383894033 IFS code IDIB000C601 में RTGS / NEFT के माध्यम से अलग–अलग जमा करके जमा रसीद /यू0टी0आर नम्बर ई–निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ करना होगा अथवा जमानत धनराशि के सापेक्ष एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा मूल्य आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा। अन्यथा निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

2– निविदादाता ठेकेदार/फर्म को वन विभाग/ वन निगम का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) एंव जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3– प्राप्त न्यूनतम निविदा की दरों की स्वीकृति उपरान्त आवश्यकतानुसार जलौनी लकडी की आपूर्ति न्यूनतम निविदादाता फर्म से कार्यादेश निर्गत करके प्राप्त की जायेगी।

4– जलौनी लकडी आपूर्ति हेतु निर्गत कार्यादेश के अनुसार पालिका द्वारा अधिकृत कर्मी के समक्ष कांटे पर तौल कराकर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र करने के उपरान्त विभिन्न स्थलों पर प्राप्त की जायेगी।

5– जलौनी लकडी आपूर्ति उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिल पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

6– समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।

7– ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

8– अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बंध में ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल होगा।

9– आपूर्ति की जाने वाली सूखी जलौनी लकडी की मात्रा आवश्यकता के दृष्टिगत घट–बढ सकती है।

10– प्राप्त न्यूनतम निविदा की दरों की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध की कार्यवाही नियमानुसार करानी होगी।

11– जमानत धनराशि एंव निविदा मूल्य की जमा RTGS / NEFT की रसीद/यू0टी0आर0 नम्बर की मूलप्रति तथा पैन कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एंव वन विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वःप्रमाणित छायाप्रतियों की हार्ड कांपी (तकनीकी बिड) का बन्द लिफाफा दिनांक 03.12.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे तक निर्माण अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा नान रिस्पांसिव घोषित कर दी जायेगी।

12– आपूर्तिकर्ता को सूखी जलौनी लकडी की ही आपूर्ति करनी होगी। लकडी की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पायी जाती है तो भुगतान किया जाना सम्भव न होगा।

Sudha devi

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

प्रतिलिपि–
1– जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
3– नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

22/11/24

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
बहराइच।